BUREAU OF INDIAN STANDARDS (Headquarters)

Ref: DDGA/SOM(23)

21Jan 2020

Sub: Directions of DG regarding D.O. letters and routing of proposals for financial approval

During the SOM held on 20 Jan 2020, the following directions given by DG, are brought to the notice of all concerned for necessary compliance:

- While putting up any D.O. letter for approval of DG, the name and designation of the officer to whom the letter is proposed to be sent be correctly reflected in the proposal after making necessary confirmation from the concerned office;
- 2) While putting up any draft for approval of DG, it should be typed in double space; and
- 3) All the proposals involving expenditure from BIS fund shall be routed through Finance Department.

Strict compliance of the above instructions of DG be ensured.

(Roma Roy)

RomaRos

Deputy Director General(Admn.)

Circulated to all departments at HQs/ROS/BOs/Labs including NITS Through BIS Intranet

भारतीय मानक ब्यूरो (मुख्यालय)

संदर्भ: डीडीजीए/एसओए/(23)

21.01.2020

विषय: अर्ध-सरकारी पत्र और वितीय स्वीकृतिहेतु प्रस्ताव भेजने के संबंध में महानिदेशक महोदय के निदेश

दिनांक 20.01.2020 को आयोजित वरिष्ठ अधिकारी बैठक (एसओएम) के दौरान, महानिदेशक महोदय द्वारा दिए गए निम्निलिखित निदेश आवश्यक अनुपालन हेतु सभी संबंधितों की जानकारी में लाये जातेहैं:

- 1) महानिदेशक महोदय से मंजूरी लेने हेतु कोई भी अर्ध-सरकारी पत्र प्रस्तुत करते समय, जिस अधिकारी को पत्र भेजा जाना प्रस्तावित है उनके नाम व पदनाम आदि की आवश्यक पृष्टिसंबंधित कार्यालय से करने के बाद इसे प्रस्ताव में सही रूप में दर्शाएँ।
- 2) महानिदेशक महोदय से मंजूरी लेने हेतु कोई भी मसौदा डबल स्पेस में टाइप करके प्रस्तुत करें; और
- 3) बीआईएस फंड से व्यय किए जाने संबंधीसभी प्रस्तावों को वित्त विभाग के माध्यम से भेजा जाएगा।

महानिदेशक महोदय के उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

रोमा रॉय)

(रामा राय)

उपमहानिदेशक (प्रशासन)

बीआईएस इंट्रानेट के माध्यम से एनआईटीएस सिहत मुख्यालय/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/प्रयोगशालाओं को परिचालित